P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-11* February 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

मध्यकालीन मुस्लिम नारी की स्थिति

सीमा पान्डेय
असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.) भारत

सारांश

विश्व में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सैद्धान्तिक रूप से सदैव उच्च रही है किन्तु दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद स्त्रियों के अधिकारों और उनके कार्यक्षेत्र में सीमितता आ गई। इस काल में स्त्री शिक्षा प्रायः समाप्त हो गयी, पर्दा प्रथा को और भी प्रोत्साहन मिला बाल–विवाह का प्रचलन बढ़ा, विधवा विवाह पूर्णरूप से बंद हो गया तथा सती प्रथा की शुरूवात हो गयी।

मध्यकाल में मुस्लिम समाज में स्त्रियों के अधिकारों एवं स्तर में भी गिरावट आयी तथा उन्हें पुरूषों पर आश्रित स्वीकार किया जाने लगा। मुस्लिम समाज में विभिन्न वर्गों की स्त्रियों की दशा में भिन्नता थी। शासक वर्ग की स्त्रियों की दशा अन्य वर्ग की स्त्रियों से अच्छी थी। मुगल हरम की महिलाओं ने भी समकालीन राजनीति एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दिया, जिनमें हमीदा बानू बेगम, सलीमा बेगम, मुमताज महल, गुलबदन बेगम, नूरजहाँ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।

मुस्लिम स्त्रियों में मुगलकाल में पर्दा प्रथा का कठोरता से पालन किया जाता था, तथापि स्त्री शिक्षा का प्रसार किसी न किसी रूप में था। मुगलकालीन स्त्रियाँ बौद्धिक क्षेत्र में जितनी निपुण थी, उससे कहीं अधिक वे साहित्य और कला के क्षेत्र में भी कुशल थी।

यद्यपि हिन्दू स्त्रियों की तुलना में मुस्लिम स्त्रियों को कुछ सुविधाऐं मिली हुई थी, तथापि वे अधिकारों से विहीन थी। उनमें पर्दा प्रथा जारी रही तथा धीरे–धीरे उनकी बराबरी की दावेदारी समाप्त हो गयी। उनमें बहुविवाह का प्रचलन बढ़ गया। मुस्लिम समाज में बालविवाह तथा दहेज प्रथा के कारण महिलाओं की स्थिति बदतर हो गयी।

यह सत्य है कि मध्यकाल में स्त्रियों की दशा अच्छी नही थी। उस समय पर्दा–प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह, बालविवाह, दास प्रथा, देवदासी प्रथा आदि अनेक कुरीतियाँ प्रचलित थी, किन्तु इसके बाद भी सामान्यतः परिवार में स्त्रियों का आदर होता था। मध्यकाल में विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति जितनी तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुई वह हमारे इतिहास में कलंक के रूप में सदैव याद रहेगा।

मुख्य शब्द : अर्द्धांगिनी, पथभ्रष्ट, पार्शियन, हरम, तस्लीम, सिजदा, देवदासी, विदूषी।

प्रस्तावना

विश्व में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। यह निर्विवाद है कि सभी देशों में महिलाओं ने कल्याणप्रद समाज के लिए महती योगदान दिया है। अपने देश के उच्चतम मूल्यों का संरक्षण महिलाओं ने ही किया है। समाज की उदाप्त परम्पराओं को भी अपने श्रम और ज्ञान से जीवित भी महिलाओं ने रखा है। सम्भवतः इसीलिए चिन्तको ने स्पष्ट कहा है कि किसी समाज की वास्तविक दशा और उसका स्तर उसमें रहने वाली महिलाओं की स्थिति से प्रमाणित होता है।

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सैद्धान्तिक रूप से सदैव उच्च रही है, ईश्वर की शक्तियों का लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आदि नारी रूपों में ही वर्णन किया गया है। इस प्रकार नारी, धन, ज्ञान व शक्ति का प्रतीक मानी गयी है। शास्त्रों में पत्नी को पति की अर्द्धांगिनी कहा गया है। मातृत्व को भी बहुत आदर दिया गया है। जो हमें स्त्री को पुरूष से ऊँची स्थिति का आभास देता है, किन्तु अत्यंत दुख का विषय है कि इतना सब कुछ होते हुए भी व्यावहारिक रूप में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों से प्रायः सदैव ही निम्न रही है। यद्यपि स्त्रियों की स्थिति में विभिन्न कालों में उतार–चढ़ाव आते रहे है।

दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद स्त्रियों के अधिकारों और उनके कार्यक्षेत्र में सीमितता आ गई। इस काल में स्त्री शिक्षा प्रायः समाप्त हो गयी,

पर्दा प्रथा को और भी प्रोत्साहन मिला, बाल–विवाह का प्रचलन बढ़ा, विधवा विवाह पूर्णरूप से बंद हो गया तथा सती प्रथा की शुरूवात हो गयी। इस काल में स्त्री पति की दासी और उपभोग की वस्तु बनकर रह गयी तथा उस पर अत्याचार करने का अधिकार पति को मिल गया।

हिन्दुओं की अपेक्षा मुस्लिम परिवारों में स्त्रियों की स्थिति शोचनीय थी। वहाँ उन्हें कम मान–सम्मान प्राप्त था। दासियों के साथ अनुचित संबंध होने के कारण पत्नि व दासी में कोई विशेष अंतर नहीं रहता था। बहु–विवाह की प्रथा मुस्लिम समाज में आम थी। सुल्तान व सामंत वर्ग के लोग तो सैकड़ों की संख्या में स्त्रियाँ रखते थे। मुस्लिम परिवारों में पर्दे की प्रथा अत्यंत ही कठोर थी। फिरोज तुग्लक ने तो स्त्रियों की स्वतंत्रता पर और भी कठोर प्रतिबंध लगा दिये थे। उसने ''फतुहाते फिरोज शाही'' में लिखा है कि उसने स्त्रियों का संतो की कब्र पर जाना बंद करवा दिया क्योंकि वहाँ उनको पथभ्रष्ट करने के लिए अनेक चरित्रहीन पुरूष भी जाया करते थे।

इस्लाम में मानव समानता को स्वीकार किया गया है तथा सभी मुसलमानों को समान अधिकार दिए गए है। मोहम्मद साहब ने स्त्री एवं पुरूष को समान स्वीकार किया है पवित्र कुरान में स्त्रियों की प्रशंसा की गई है तथा परिवार में शिशु के चरित्र के निर्माण के लिए उन्हें उत्तरदायी स्वीकार किया गया है। उन्हें अपने पैत्रिक सम्पत्ति में एक निश्चित अधिकार प्रदान किया गया है। पैगम्बर साहब ने स्त्रियों के प्रति र्दुव्यवहार की घोर निन्दा की है और कहा है कि वे किसी प्रकार भी पुरूषों से निकृष्ठ नहीं है। उनके अधिकार भी समान है। वहीं दूसरी तरफ मुहम्मद हबीब का कथन है कि ''कुरान के कतिपय वक्तव्य भी स्त्री को परंपरागत रूप से एक हीन लिंग के रूप में स्थापित करते है। स्पष्टतः पुरूष को संबोधित करते हुए कुरान कहती है कि स्त्री तुम्हारे लिए खेत की तरह है, तुम जैसे चाहो उसे जीतो और यह भी घोषित किया गया है कि पद में पुरूष स्त्री से श्रेष्ठ है। ऐसे पवित्र और आसमानी शब्दों के आधार पर शेख अहमद सरहिन्दी जैसे सूफी ने घोषणा की कि खुदा ने मर्द पर मेहरबानी की है इसलिए उसे चार शादियाँ करने का अधिकार प्राप्त है, वह तलाक द्वारा स्त्रियाँ बदल सकता है और कितनी ही रखैलें रख सकता है। खुदा ने स्त्री को सौन्दर्य बख्शा ही इसीलिए है कि पुरूष उसका उपयोग करे। स्त्रियों के संबंध में भी उसी सूफी ने यह कहा है कि स्त्री इतनी दुष्ट प्रकृति की होती है कि व्याभिचार के हर मामले में प्रमुख रूप से उसी को दोषी मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा दुष्कृत्य उसकी स्वीकृति के बिना संभव नहीं हो सकता।

कुरान के नियम प्रत्येक मुसलमान को चार पत्नियाँ रखने की छूट देते है। किसी सीमा तक उच्च घरों में इस नियम को अपनाया भी गया था, परन्तु निम्न वर्ग के मुसलमानों में बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। सर्वसाधारण वर्ग एक पत्नीव्रत का पालन करता था, इस पर भी उसने यह आज्ञा दे दी थी कि यदि प्रथम पत्नी बांझ है तो पुरूष विवाह कर सकता है, स्वयं अकबर की अनेक पत्नियाँ थी।

मुसलमानों में बहु–विवाह का प्रचलन था। इस विषय में मिर्जा अजीज कोका लिखते है– ''एक पुरूष को चार स्त्रियों से विवाह करना चाहिए पार्शियन स्त्री बातचीत करने के लिए उत्तम है, खुरासानी स्त्री गृह कार्य के लिए, हिन्दू स्त्री बच्चों को खिलाने के लिए तथा मारवाड़ी स्त्री डराने धमकाने के लिए, जिससे अन्य स्त्रियों को चेतावनी मिल जाए। स्पष्ट है कि इस युग के उच्च मुस्लिम घराने स्त्री को एक आमोद–प्रामोद की वस्तु समझते थे।

मध्यकाल में मुस्लिम समाज में स्त्रियों के अधिकारों एवं स्तर में भी गिरावट आयी तथा उन्हें पुरूषों पर आश्रित स्वीकार किया जाने लगा। मुस्लिम समाज में विभिन्न वर्गों की स्त्रियों की दशा में भिन्नता थी। शासक वर्ग की स्त्रियों की दशा अन्य वर्ग की स्त्रियों से अच्छी थी। मुस्लिम शासको ने राजमहल में हरम (अंतःपुर) की व्यवस्था की थी जहाँ उनकी रखैलें निवास करती थी। उनकी सेवा में अनेक दासियाँ सेविकाऐं होती थी। साधारणतः शासक की माँ को हरम की प्रथम महिला का सम्मान प्राप्त होता था तथा उसके पश्चात् शासक की प्रथम पत्नी का विशेष स्थान था। हरम में स्त्रियों की शिक्षा–दीक्षा की भी उचित व्यवस्था थी उन्हें उपाधियाँ, व्यक्तिगत जागीरें, नकद धनराशि एवं परितोषक भी प्रदान किया जाता था।उनके मनोरंजन के लिए गायिकाऐं, भी रहती थी। शासक वर्ग की महिलाओं ने राजनीति को भी प्रभावित किया। सुल्तान इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान ने रजिया के उत्तराधिकार को ठुकराते हुए उमरा के सहयोग से अपने पुत्र रूकनुद्धीन फिरोज को सिंहासनारूढ़ कराया था। सुल्ताना रजिया सैनिक एवं प्रशासनिक गुणों से सम्पन्न थी। सुल्तान नासिरूद्धीन की माँ मलिक–ए–जहाँ ने उसके सिंहासनारोहण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इब्नेबतूता के अनुसार मोहम्मद तुगलक की माँ मखदमू–ए–जहाँ सूफी संतो एवं उलेमाओ का बहुत सम्मान करती थी।

मुगल हरम की महिलाओं ने भी समकालीन राजनीति एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दिया। हुमाँयू की पत्नी हमीदा–बानू–बेगम एक बुद्धिमति महिला थी जिसने हुमाँयू तथा अपने पुत्र अकबर को अपने बहुमूल्य परामर्शो द्वारा लाभान्वित किया। अकबर की पत्नी सलीमा बेगम एक दूरदर्शी एंव संतुलित महिला थी। जहाँगीर के शासनकाल की राजनीति में नूरजहाँ की विशेष भूमिका रही। शाहजहाँ की प्रमुख सलाहकार उसकी पत्नी मुमताजमहल थी तथा उसकी मृत्योपरान्त उसका स्थान उसकी पुत्री जहाँआरा ने ले लिया। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम की साहित्यिकता का परिचय उसकी कृति हुमाँयूनामा से प्राप्त होता है। जहाँआरा एक उच्च–कोटी की कवियित्री थी, हमीदा बानो बेगम ने हुमाँयू के मकबरे तथा नूरजहाँ ने एतमाद्–उद–दौला के मकबरे का निर्माण कराया। नूरजहाँ ने समकालीन भ्रष्टाचार को भी प्रभावित किया तथा उसकी माता अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया।''

यद्यपि मुस्लिम स्त्रियों में मुगलकाल में पर्दा प्रथा का कठोरता से पालन किया जाता था तथापि स्त्री शिक्षा का प्रसार किसी न किसी रूप में था। मुगलकालीन स्त्रियाँ

बौद्धिक क्षेत्र में जितनी निपुण थी, उससे कहीं अधिक साहित्य और कला के क्षेत्र में कुशल थी। खानखाना की पुत्री 'जान बेगम ' का कुरान पर पूर्ण अधिकार था। उसने कुरान पर अनेक टीकाऐं लिखी थी। हुमाँयू की बहन 'गुलबदन बेगम', अत्यंत विदूषी थी उसने ''हुमाँयूनामा'' लिखा। सलीमा सुल्ताना, नूरजहाँ तथा जेबुन्निसा उच्चकोटि की कविता करती थी।

हिन्दू स्त्रियों की तुलना में मुस्लिम स्त्रियों को कुछ सुविधाऐं मिली हुई थी। वे विधवा विवाह कर सकती थी। उन्हें सती होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे विपरीत परिस्थिति होने पर अपने पति को तलाक दे सकती थी। उनका पिता की सम्पत्ति पर भी अधिकार रहता था, परंतु उच्च परिवारों में तलाक एवं विधवा विवाह की घटनाऐं कम ही होती थी। आर्थिक दृष्टि से मुस्लिम स्त्रियाँ हिन्दू स्त्रियों से कहीं अधिक सम्पन्न होती थीं इस्लामी कानून के अनुसार वे पिता की सम्पत्ति की अपने भाइयों के समान अधिकारिणी थी। विवाह के पश्चात् भी वे सम्पत्ति में अपना भाग लेने की अधिकारिणी थी।

महिलाओं को यह अधिकार अवश्य था कि वे अपने शौहर को तलाक दे सकती थी। तलाकशुदा महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था। 'मेहर' की रकम उन्हें वापिस दे दी जाती थी। महिलाओं के उत्तराधिकार के हक में भी मुल्ला लोग परिवर्तन नहीं कर पाए। भारत में आकर उनकी पर्दा प्रथा जारी रही। यहाँ आकर मुस्लिम लोगों ने देखा कि हिन्दू औरतें सभी अधिकारों से विहीन थी धीरे धीरे मुस्लिम महिलाओं की भी वहीं स्थिति बन गई। बराबरी की दावेदारी समाप्त हो गयी। मुस्लिम महिलाऐं भी बहुविवाह के दंश झेलती थी। चार से अधिक विवाह किये जाते थे। मुस्लिम कानून में विवाह को समझौता माना जाता था। मुस्लिम महिला तलाक के बाद पुनर्विवाह कर सकती थी, लेकिन बच्चे साथ में होने पर ऐसे विवाह सफल नहीं थे। जब कभी वे पिता की सम्पत्ति में अपना भाग मांगती थी जो कानून से उन्हें प्राप्त था, तब भी उनको कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि भाई और बेटे शत्रु हो जाते थे। सामान्यतः दूसरा पति उनके पहले पति के बच्चों से दुर्व्यवहार करता था।

मुस्लिम महिलाओं में पर्दा–प्रथा की कठोरता थी। मकान के पिछले भाग में जनानखाना होता था। वही उन्हें रहना पड़ता था और गृह कार्य के साथ सन्तान उत्पत्ति वहीं होती थी। जनानखाने में उनकी हैसियत कभी तो कैदी से भी बुरी हो जाती थी। तीज त्यौहारों पर उनके अन्तःपुर में कुछ रौनक होती थी और वे भी खुश होती थी। अपने पुरूष संबंधियों से उन्हें पर्दा करना पड़ता था। वे अशिक्षा एवं अज्ञान में जकड़ी रहती थी। मुस्लिम समाज में भी बालविवाह तथा दहेज प्रथा थी। बहुत अधिक संतान पैदा करने के कारण वे शीघ्र बूढ़ी और बीमार हो जाती थी। माता का आदर मुस्लिम समाज में भी था, क्योंकि यह मुहम्मद साहब का स्पष्ट आदेश था।

यह सत्य है कि मध्यकाल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। उस समय पर्दा–प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह, बालविवाह, दास प्रथा, देवदासी प्रथा आदि अनेक कुरीतियाँ प्रचलित थी, किन्तु इसके बाद भी सामान्यतः परिवार में स्त्रियों का आदर होता था। नारी को माँ के रूप में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। पुत्र उनकी आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे। मुगल राजकुमारो से लेकर साधारण वर्ग तक माँ के प्रति 'तस्लीम' तथा 'सिजदा' आदि करता था। जहाँगीर की 'तजुक ए जहाँगीरी' में जहाँगीर उल्लेख करता है कि उसने अपनी माँ को अत्यंत आदर के साथ तस्लीम और सिजदा किया था।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मध्यकालीन महिलाओं की स्थिति का वास्तविक स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करता है। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम एवं हिन्दू महिलाओं की स्थिति में अत्यधिक विभिन्नता थी, जहाँ उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वहीं सामान्य महिलाओं की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय थी। अतः मध्यकालीन महिलाओं की स्थितियों का अध्ययन आवश्यक है।

निष्कर्ष

अंततः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मध्यकाल में विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति जितनी तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुई वह हमारे इतिहास में कलंक के रूप में सदैव याद रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

प्रो. सुगम आनंदः भारतीय इतिहास में नारी, अनुभव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद

फरीन्द्रनाथ ओझा, पृ.156

उमाशंकर मेहरा, मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1989, पृ. 19

फिरोज तुगलक : फतुहाते फिरोजशाही

एल.सी.नन्दः वूमेन इन देहली सल्तनत, लम्बार्ट एकेडेमिक पब्लिशिंग, दिल्ली पृ.32

डॉ. लईक अहमद : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद, 2006, पृ. 173

डॉ. एल.सी. नन्द :वूमेन इन देहली सल्तनत, दिल्ली, पृ. 33

दिनेशचंद्र भारद्वाज : मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, आगरा, 1982, पृ. 50

दिनेशचंद्र भारद्वाज : मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, आगरा, 1982, पृ. 50

लईक अहम : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद, 2006, पृ. 174

लईक अहम : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद, 2006, पृ. 175

दिनेशचंद्र भारद्वाज : मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, आगरा, 1982, पृ. 52

उमाशंकर मेहरा : मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एंव संस्कृति, आगरा 1982, पृ. 53

दिनेशचन्द्र भारद्वाज : मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, आगरा, 1982, पृ. 53

प्रो. सुगम आनंद : भारतीय इतिहास में नारी, इलाहाबाद, 2007, पृ. 40